मस्जिद-ए-आइशाऔरउम्राका एहराम

تحریر

شیخ مقبول احمد سلفی حفظہ اللہ

جدہ دعوہ سنٹر، حی السلامہ، سعودی عرب

Maqubool Ahmed Maquboolahmad.blogspot.com
SheikhMaqubool AhmedFatawa islamiceducon@gmail.com
Sheikh Maqbool Ahmed salafi Off page 00966531437827

मस्जिद-ए-आइशाऔरउम्राकाएहराम

तहरीर: मक़बूल अहमद सलफ़ी हाफ़िज़ाहुल्लाह

हिंदी मुतर्जिम: हसन फ़ुज़ैल

मस्जिद-ए-आइशा मक्का मुकर्रमा की एक मा'रूफ़ (मशहूर) मस्जिद है जहाँ से हरम मक्की में रहने वाले एहराम बांध कर उम्रा करते हैं। इस मस्जिद से एहराम बांधने के बारे में लोगों में काफ़ी बेचैनी पाई जाती है हत्ता कि बहुत सारे उलमा भी अलग अलग बातें करते हैं। इस तहरीर में उसी मसले की वज़ाहत पायेंगे।

हुदूद-हरम मकी: मस्जिद हराम के चारों ओर कुछ मसाफ़त की हुदूद को हुदूदहरम कहा जाता है और जितना अज्र मस्जिद हराम में नमाज़ पढ़ने का है उतना ही अज्र हुदूद हरम में कहीं भी नमाज़ पढ़ने का है। नबी ﷺ इर्शाद फ़रमाते हैं:

صلاةٌ في المسجدِ الحرامِ أفضلُ من مائةِ ألفِ صلاةٍ فيما سواهُ(صحيح ابن ماجه:1163)

तर्जुमा: मस्जिद अल-हराम में एक नमाज़ पढ़नी दूसरी मस्जिदों की एक लाख नमाज़ से अफ़ज़ल है।

आप के इल्म में होना चाहिए कि आज कल मस्जिद हराम की चार सिम्तों में हुदूद हरम की अलामत नसब की गई है। जहाँ हरम की हद ख़त्म होती है वहां पर सुतून क़ाइम किया गया है, जिस सुतून पर अंदर से अरबी में "निहायत हद अल हरम" और इंग्लिश में "END OF HARAM BOUNDARY" लिखा हुआ है और बाहर से अरबी में "बिदायत हद अल हरम" और इंग्लिश में "BEGINNING OF HARAM BOUNDARY" लिखा हुआ है ताकि लोगों को हुदूद हरम की तमीज़ हो सके। हुदूद हरम की हद बंदी सब से पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिये की, फ़िर मुहम्मद ﷺ ने फ़तेह मक्का के मौक़े पर तमीम बिन असद ख़ज़ाई को हरम की अलामत तज्दीद करने का हुक्म दिया था। इस के बाद फिर उसमान रज़ियल्लाहु अन्हु फिर अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने तज्दीद फ़रमाई और आज भी ये हुदूद वाज़ेह हैं। (देखिए: शरह अल-महज़ब 7/463)

हुकूमत (सरकार) सऊदी अरब की वज़ारत-उल-हज वल-उमरा ने चारों ओर हुदूद-ए-हरम की भौगोलिक सीमा निर्धारण निम्नलिखित आधार पर किया है:

(1) उत्तर मक्का: मक्का के उत्तर में पाँच किलोमीटर तक मस्जिद आइशा तक। (यह मस्जिद मक्का-मदीना रास्ते पर है)

(2) दक्षिण मक्का: मक्का के दक्षिण में मश'आर अरफ़ा की ओर बीस किलोमीटर तक। (मक्का व ताइफ़ रास्ते पर)

(3) पश्चिम मक्का: मक्का के पश्चिम में जद्दा दिशा में हुदैबिया के मक़ाम पर अठारह किलोमीटर तक। (आजकल हुदैबिया को शमीसी कहते हैं)

(4) पूर्व मक्का: मक्का के पूर्व में जिराना के मक़ाम (स्थान) पर साढ़े चौदह किलोमीटर तक। (यहां मस्जिद जिराना है ताइफ़ रास्ते पर)

किलोमीटर में लोगों के बीच इख़्तिलाफ़ (मतभेद) पाया जाता है और मैंने यहाँ पर आपको वज़ारत-उल-हज वल-उमरा की जानकारी दी है। जो भाग इन चारों ओर स्थापित बाउंडरी के अंदर है वह हुदूद-ए-हरम का भाग है और जो बाउंडरी से बाहर का भाग है वह हिल कहलाता है और वह हुदूद-ए-हरम में शामिल नहीं है।

एहराम बाँधने की जगहे (स्थान):

हुदूद-ए-हरम की जानकारी के बाद अब उम्रा के लिए एहराम बाँधने के स्थानों का इल्म हासिल करें। उमरा के लिए एहराम बाँधने की तीन जगहें या तीन हालते हैं:

पहली जगह: जो लोग मीक़ात (क़र्न-उल-मनाज़िल, जुफ़ाह, यलमलम, ज़ात-ए-इर्क़ और ज़ुल-हुलैफ़ा) से बाहर हैं वे जब उम्रा का इरादा करेंगे तो वे अपनी मीक़ात से एहराम बाँधकर मक्का आएँगे और उमरा करेंगे जैसे हिंदुस्तान-पाकिस्तान वाले हवाई जहाज़ से जद्दा पहुँचेंगे तो ताइफ़ की मीक़ात (क़र्न-उल-मनाज़िल) से एहराम बाँधेंगे।

दूसरी जगह: जो लोग मीक़ात के अंदर रहते हैं वे लोग अपनी रिहाइश (निवास) से ही एहराम बाँधेंगे जैसे जद्दा, शराइय, सौल, बहरा वग़ैरह वाले, ये लोग जहाँ रिहाइश करते हैं वहीं से उम्रा करने के लिए एहराम बाँधेंगे।

तीसरी जगह: ऊपर हुदूद-ए-हरम की वज़ाहत की गई है, जो लोग इस हद (सीमा) में रहते हैं वे हुदूद-ए-हरम से बाहर निकलकर हिल के किसी स्थान से एहराम बाँधेंगे जैसे मस्जिद आइशा, जिराना, अरफ़ात या हुदैबिया वग़ैरह से।

मस्जिद आइशा और उम्रा का एहराम:

मस्जिद आइशा, जिसे मस्जिद तनईम और मस्जिद उम्रा के नाम से भी जाना जाता है, यह मस्जिद हराम के उत्तर में मक्का-मदीना रोड पर पाँच किलोमीटर की दूरी पर हई अल-तनईम में स्थित है। यह बड़ी आलीशान (भव्य) मस्जिद छह हज़ार वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में फैली है और लगभग

पंद्रह हज़ार नमाज़ियों की वुस'अत (क्षमता) रखती है। यह मस्जिद हराम की सबसे क़रीबी सीमा है और यहाँ एहराम बाँधने की अच्छी व्यवस्था के साथ आने-जाने की भी बहुत बेहतर सुविधा है इसलिए आमतौर से हुदूद-ए-हरम में रहने वाले लोग मस्जिद आइशा से उम्रा के लिए एहराम बाँधते हैं।

यह मस्जिद आइशा इसलिए मशहूर (प्रसिद्ध) है क्योंकि हुज्जतुल-विदा के मौक़े पर नबी ﷺ ने सय्यदा आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा को उनके भाई अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ इसी जगह से उम्रा का एहराम बाँधने का हुक्म दिया था। बाद में यहाँ मस्जिद तामीर की गयी और यह मस्जिद आइशा के नाम से मशहूर हो गई। आइये इस हदीस को भी देख लेते हैं जिसमें सय्यदा आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा को यहाँ से उम्रा का एहराम बाँधने का हुक्म दिया गया है। तवालत (विस्तार) की वजह से सिर्फ़ तर्जुमा (अनुवाद) पेश करता हूँ।

तर्जुमा: हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह ﷺ के साथ हजे-मुफ़रद का एहराम बाँध कर चले और हज़रत आयशा रज़ि० सिर्फ़ उमरे की नीयत से आईं। जब हम सरिफ़ के मक़ाम पर पहुँचे तो हज़रत आयशा रज़ि० को दिन शुरू हो गए, यहाँ तक कि जब हम मक्का आए तो हमने काबा और सफ़ा-मरवा का तवाफ़ कर लिया। फिर आप ﷺ ने हमें हुक्म दिया कि हम में से जिस किसी के साथ क़ुरबानी नहीं, वो (एहराम छोड़ कर) हिल्लत (बिना एहराम की हालत) इख़्तियार कर ले। हमने पूछा : कौन सी हिल्लत? आपने फ़रमाया : मुकम्मल हिल्लत (एहराम की सभी

बन्दिशों से आज़ादी)। फिर हम अपनी औरतों के पास गए, ख़ुशबू लगाई और (साधारण) कपड़े पहन लिये। (और उस वक़्त) हमारे और अरफ़ा (को रवानगी) के बीच चार रातें बाक़ी थीं। फिर हमने तरवीया वाले दिन (आठ ज़ुल-हिज्जा को) तल्बिया पुकारा। आप ﷺ हज़रत आयशा (रज़ि०) के ख़ेमे में दाख़िल हुए, तो उन्हें रोता हुआ पाया। पूछा : तुम्हारा क्या मामला है? उन्होंने जवाब दिया : मेरा मामला ये है कि मुझे दिन शुरू हो गए हैं। लोग हलाल (एहराम से फ़ारिग़) हो चुके हैं और मैं अभी नहीं हुई और न मैंने अभी बैतुल्लाह का तवाफ़ किया है, लोग अब हज के लिये रवाना हो रहे हैं। आपने फ़रमाया : (परेशान मत हो) ये (हैज़) ऐसा मामला है। जो अल्लाह ने आदम (अलैहि०) की बेटियों की क़िस्मत में लिख दिया है। तुम ग़ुस्ल कर लो और हज का (एहराम बाँध कर) तल्बिया पुकारो। उन्होंने ऐसा ही किया और वक़ूफ़ के हर मक़ाम पर वक़ूफ़ किया (हाज़िरी दी, दुआएँ कीं) और जब पाक हो गईं तो अरफ़ा के दिन) बैतुल्लाह और सफ़ा-मरवा का तवाफ़ किया। फिर आपने हज़रत आयशा (रज़ि०) से) फ़रमाया : तुम अपने हज और उमरे दोनों (मुकम्मल कर के उनके एहराम की बन्दिशों) से आज़ाद हो चुकी हो। उन्होंने कहा : ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे दिल में (हमेशा) ये खटका रहेगा कि मैं हज करने तक बैतुल्लाह का तवाफ़ नहीं कर सकी। आपने फ़रमाया : ऐ अब्दुर्रहमान! उन्हें (ले जाओ और) तनईम से उमरा करा लाओ। और ये (मिना से वापसी पर) हस्बा (में क़ियाम वाली रात का वाक़िआ है।) (सहीह मुस्लिम: 1213)

इल्मी नुक्ता: हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) ने उम्रा का एहराम बाँधा था, मगर मक्का पहुँचने से पहले रास्ते में ही उन्हें हैज़ आ गया और वे यौम-उल-तर्विया से पहले पाक नहीं हो सकीं। तो रसूलुल्लाह ﷺ ने उन्हें यौम-उल-तर्विया को ग़ुस्ल करके हज का एहराम बाँधने का हुक्म दिया, यानी उन्होंने उमरा को हज में शामिल कर लिया और यह हज क़िरान कहलाता है। इसलिए नबी ﷺ ने पाक होने पर तवाफ़ और सई कर लेने के बाद उनसे कहा कि "तुम हज और उमरा दोनों से हलाल हो गई हो"। इससे एक मसला मालूम होता है कि जो औरत हज तमत्तो' की नीयत करती है और उमरा करने से पहले हाइज़ा हो जाती है यहाँ तक कि यौम-उल-तर्विया से पहले पाक नहीं हो पाती है, तो उन्हें यौम-उल-तर्विया को अपनी नीयत बदलकर हज क़िरान की कर लेनी है और उस दिन हज का एहराम बाँधना है और जब वे पाक होकर तवाफ़ और सई करेंगी, तो इससे हज और उमरा दोनों हो जाएगा। इसे हज क़िरान कहते हैं।

मस्जिद आइशा से एहराम बाँधना: जो लोग हुदूद-ए-हरम में काम करते हैं या वहाँ रहते हैं वे मस्जिद आइशा से एहराम बाँधेंगे, इस मसले में कोई इख़्तिलाफ़ नहीं है। लेकिन इस बारे में इख़्तिलाफ़ पाया जाता है कि जो लोग अपनी मीक़ात से एहराम बाँधकर मक्का आते हैं और पहला उम्रा कर लेते हैं, तो दूसरे उम्रा के लिए मस्जिद आइशा से एहराम बाँध सकते हैं या नहीं?

असल सवाल का जवाब देने से पहले यह मसला बयान कर देता हूँ कि एक सफ़र में एक उम्रा करना ही मस्नून और अफ़ज़ल है क्योंकि इसी बात की दलील मिलती है। लेकिन इस मामले में यह गुंजाइश है कि अगर मक्का में क़ियाम तवील हुआ तो कुछ दिनों के वक़्फ़े के साथ दूसरा उम्रा कर सकते हैं। जल्दी-जल्दी और एक ही दिन में बार-बार उम्रा करना सुन्नत की ख़िलाफ़वर्ज़ी है। और इसी तरह जिसका क़ियाम मुख़्तसर हो और वह दोबारा मक्का नहीं आ सकता है, ऐसा शख़्स अपने मय्यत वालिद या मय्यत वालिदा की तरफ़ से उम्रा करना चाहे तो कुछ अहल-ए-इल्म ने इसकी इजाज़त दी है।

अब आते हैं असल सवाल की तरफ़ कि जब कोई बाहरी आदमी (जो मीक़ात से एहराम बाँधकर पहले उम्रा कर चुका है) मक्का के क़ियाम के दौरान दूसरा उम्रा करता है तो उसे मीक़ात पर जाने की ज़रूरत है या मस्जिद आइशा से वह एहराम बाँध सकता है?

इसका जवाब यह है कि जो आदमी उस वक्त मक्का यानी हुदूद-ए-हरम में है, उसने पहले उम्रा कर लिया है और दोबारा उम्रा करना चाहता है, तो उसे मीक़ात पर जाने की ज़रूरत नहीं है। वह हिल में जाकर किसी भी मक़ाम से उम्रा का एहराम बाँध सकता है, जैसे जिराना से या मस्जिद आइशा से। जो लोग कहते हैं कि ऐसे लोग मस्जिद आइशा से एहराम नहीं बाँध सकते हैं, यह हुक्म सय्यदा आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ ख़ास है क्योंकि उन्हें हैज़

आया हुआ था। इसका जवाब यह है कि एहराम बाँधने की जगह से मुताल्लिक़ औरत और मर्द के बीच कोई फ़र्क़ नहीं है और हैज़/अदम-हैज़ में भी एहराम बाँधने का कोई फ़र्क़ नहीं है। ऊपर मैंने एहराम बाँधने की तीन हालते बताई हैं, ये हालते उन मक़ाम पर मौजूद लोगों से मुताल्लिक़ हैं। इस बारे में कुछ दलीलें और तर्क भी मुलाहिज़ा करें:

(1) पहली दलील तो यही है कि नबी (ﷺ) ने सय्यदा आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा को तनईम से उमरा करने का हुक्म दिया था जो हदीस ऊपर मौजूद है। इसमें कहीं यह नहीं है कि उम्रा के लिए एहराम बाँधने की यह जगह सय्यदा आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ ख़ास है।

(2) आठ हिज्री को फ़त्ह-ए-मक्का के बाद नबी (ﷺ) ने अपने कुछ साथियों के साथ जिराना से एहराम बाँधकर उम्रा किया था। सुन्नन अबू दाऊद, सुन्नन तिर्मिज़ी, सुन्नन नसाई, मुसनद अहमद और अबू याला वग़ैरह में यह रिवायत मौजूद है। मैं अबू दाऊद के हवाले से हदीस पेश करता हूँ। अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं:

أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وأصحابَهُ اعتمَروا منَ الجِعْرانةِ فرمَلوا بالبيتِ ثلاثًا ومشوا أربعًا (صحيح أبي داود:1890)

तर्जुमा: रसूलुल्लाह (ﷺ) और आपके सहाबा ने जिराना से उमरा का एहराम बाँधा तो बैतुल्लाह के तीन चक्करों में रमल किया और चार में आम चाल चली।

इस हदीस की रौशनी में मालूम होता है कि जो हुदूद में दाख़िल हो जाए और वह उम्रा करना चाहे तो हिल में निकलकर एहराम बाँधेगा। मिसाल के तौर पर, कोई ड्राइवर किसी काम से मक्का गया, पहले उम्रा की निय्यत नहीं थी मगर मक्का पहुँचकर उम्रा का इरादा बन गया तो वह आदमी हिल में जाकर उम्रा का एहराम बाँधेगा। इसी तरह कोई आदमी सऊदी अरब के किसी शहर से काम की ग़र्ज़ से जेद्दा गया और वहाँ जाकर उम्रा का इरादा बन गया तो वह अपनी रिहाइश से ही उम्रा का एहराम बाँधेगा। गोया मैंने ऊपर एहराम बाँधने की जो तीन हालते (अवस्थाएँ) बताई हैं, एहराम बाँधने में उसी तरह अमल किया जाएगा।

(3) जो लोग मीक़ात के अंदर मुक़ीम हैं या नाज़िल हैं, वे उम्रा का एहराम अपनी रिहाइश से ही बाँधेंगे जैसे जेद्दा वाले। इसकी दलील इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मर्वी हदीस मवाक़ीत में है, नबी ﷺ फ़रमाते हैं:

"ومَن كان دونَ ذلك فمِنْ حيثُ أنشَأَ، حتى أهلُ مكةَ من مكةَ" (صحيح البخاري:1524)

तर्जुमा: जिनका क़ियाम मीक़ात और मक्का के बीच है तो वे एहराम उसी जगह से बाँधेंगे जहाँ से उन्हें सफ़र शुरू करना है, यहाँ तक कि मक्का के लोग मक्का ही से एहराम बाँधेंगे।

इस हदीस में जहाँ यह कहा गया है कि मीक़ात के अंदर वाले अपने सफ़र शुरू करने की जगह यानी अपनी रिहाइश से एहराम बाँधेंगे, वहीं यह भी

कहा गया है कि मक्का वाले मक्का से ही एहराम बाँधेंगे। इसका मतलब यह है कि हज-ए-इफ़्राद या क़िरान की निय्यत करते वक्त मक्का वाले अपनी रिहाइश से ही एहराम बाँधेंगे, लेकिन मक्का में जो हुदूद-ए-हरम में रहते हैं, वे उम्रा करने के लिए हरम से बाहर निकलकर हिल से एहराम बाँधेंगे, मिसाल के तौर पर, मस्जिद आइशा से और इस बात पर इज्मा मंकूल है। इब्न अब्दुल बर्र ने कहा कि इमाम मालिक का क़ौल "मक्का में रहने वाला एहराम नहीं बाँधेगा यहाँ तक कि हिल की तरफ़ न चला जाए और फिर वहाँ से एहराम बाँधे" इस बात पर उलमा का इज्मा है और इसमें कोई इख़्तिलाफ़ नहीं है, अलहम्दुलिल्लाह। (अल-इस्तिज़कार: 4/79)

इसी वजह से आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा को उम्रा का एहराम बाँधने के लिए हिल की तरफ़ ले जाने का हुक्म दिया गया। दरअसल यह हुक्म मक्का में रहने वाले सबके लिए है, चाहे वह मुक़ीम हो या नाज़िल व मुसाफ़िर हो। यह सय्यदा आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ ख़ास नहीं है जैसा कि समझा जाता है। अगर उम्रा का एहराम बाँधने में आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए ख़ासतौर पर आसानी का हुक्म होता तो नबी ﷺ उनसे कहते कि मक्का में जहाँ पर हो, वहीं से उम्रा का एहराम बाँध लो, इसमें उनके लिए आसानी होती। मगर आपने उन्हें हिल की तरफ़ जाने का हुक्म दिया। यह रात का वक्त था, आपने अब्दुर्रहमान और आइशा दोनों से कहा कि तुम लोग उम्रा

के बाद मुझसे फुलाँ जगह मिलो। गोया यह मुशक़्क़त वाला मामला है, फिर इसमें सय्यदा आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए कैसे राहत और ख़ुसूसियत है?

इससे साफ़ ज़ाहिर होता है कि हुदूद-ए-हरम में रहने वाले सबके लिए यही हुक्म है कि जब वह उम्रा करना चाहे, वह हुदूद-ए-हरम से निकलकर हिल की तरफ़ जाए और वहाँ से उम्रा का एहराम बाँधकर आए। यहाँ तक कि जो हुदूद-ए-हरम में किसी ग़रज़ से दाख़िल हुआ और उसे उम्रा का इरादा हो गया, उसके लिए भी यही हुक्म है। और जो लोग उम्रा की ग़रज़ से बाहरी मुल्क या बाहरी शहर से मक्का आए, वे हुदूद-ए-हरम में अभी क़ियाम-पज़ीर हैं। अगर वे दोबारा उम्रा करते हैं तो उनके लिए भी यही हुक्म है, यानी वे भी हिल, मिसाल के तौर पर मस्जिद आइशा जाकर एहराम बाँधेंगे।

एक ग़लतफ़हमी का इज़ाला: आवाम में एक ग़लतफ़हमी फैली हुई है कि जो किसी ग़रज़ से मक्का आया या जेद्दा आया और यहाँ आने के बाद उम्रा का ख़्याल पैदा हुआ, तो कुछ दिन उसे क़ियाम करना होगा, मिसाल के तौर पर तीन दिन या दस पंद्रह दिन, उसके बाद वह उम्रा कर सकता है। यह ग़लत ख़्याल है। सही बात यह है कि जो किसी काम से या रिहाइश की ग़रज़ से हुदूद-ए-हरम में दाख़िल होता है और फिर कुछ देर बाद उम्रा का ख़्याल पैदा होता है, तो वह उसी वक्त हुदूद-ए-हरम से बाहर निकलकर उम्रा का

एहराम बाँध सकता है। और इसी तरह जो किसी ग़रज़ से या रिहाइश की नियत से जेद्दा आता है और यहाँ आकर उमरा का ख़्याल पैदा होता है, तो जिस वक्त या जिस दिन उम्रा का इरादा बन जाए, उसी वक्त वह अपनी रिहाइश से एहराम बाँधकर उमरा कर सकता है। कुछ दिन गुज़ारने वाला ख़्याल ग़लत है।

यहाँ पर एक दूसरा मसला यह भी ध्यान रहे कि जो मीक़ात से बाहर रहता है और वह उम्रा की गर्ज़ से मक्का या जेद्दा आए, तो उनको लाज़मी अपनी मीक़ात से एहराम बाँधकर आना होगा। बहुत से उमरा करने वाले जेद्दा आकर, यहाँ आराम करके फिर यहीँ से उमरा का एहराम बाँधते हैं, यह ग़लत है और अगर किसी ने इस तरह उम्रा किया, तो उसको दम देना होगा। इसी तरह अहले जेद्दा, अपनी रिहाइश से एहराम न बाँधकर मस्जिद आइशा से एहराम बाँधे या घर से निकलकर आगे जाकर एहराम बाँधे, तो इस सूरत में भी दम लाज़िम आएगा, इसलिए अहले जेद्दा अपनी रिहाइश से ही एहराम बाँधें।

मस्जिद आइशा से एहराम बाँधने से मुताल्लिक़ अरब उलमा के कुछ फ़तवे:

इस मसले में इख़्तिलाफ़ नहीं है कि जो मक्का में मुक़ीम हो, वह हिल जाकर उम्रा का एहराम बाँधेगा। ताहम, कुछ लोगों ने इस बारे में इख़्तिलाफ़ किया

है कि जो उम्रा करने मक्का आया, वह दोबारा उम्रा के लिए मस्जिद आइशा से एहराम बाँधे या मीक़ात पर जाए। जबकि मैंने ऊपर वाज़ेह कर दिया है कि वह दोबारा उम्रा के लिए मस्जिद आइशा या किसी दूसरे हिल की तरफ़ जाकर एहराम बाँधेगा। इस सिलसिले में दोचंद उलमा के फ़तवे नक़ल करता हूँ ताकि मौज़ू से मुताल्लिक़ कुछ ताईद हो जाए।

1. शैख़ इब्न बाज़ रहिमहुल्लाह से सवाल किया गया कि एक आदमी रियाज़ से एक उम्रा करने की निय्यत से मक्का गया, फिर उम्रा के बाद दूसरा उम्रा का ख़्याल पैदा हो गया, तो क्या उसके लिए दूसरा उम्रा करना जायज़ है और वह कहाँ से एहराम बाँधेगा?

शैख ने इस पर जवाब दिया कि इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर उसने उम्रा कर लिया और फिर अपने मरहूम बाप या माँ या इसी तरह दूसरे की तरफ़ से उम्रा करना चाहे, तो तन'ईम या जिराना या अराफ़ात की तरफ़ यानी हिल की तरफ़ जाए और हुदूद हरम के बाहर हिल से नए उमरा का एहराम बाँधे, जैसे आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने नबी ﷺ के हुक्म से तन'ईम से उम्रा किया था। (बिन बाज.ऑर्ग.एसए / फ़तवा: हिल युजौज तक़रार अल-उमरा? व मीन अयन यहरिम?)

2. शैख़ सालेह बिन फौज़ान अल-फौज़ान हाफ़िज़ाहुल्लाह से सवाल किया गया कि अगर किसी औरत ने अपना उम्रा कर लिया, फिर अपने बाप या अपने चाचा की तरफ़ से उम्रा करना चाहे, तो मीक़ात से पहली बार जो एहराम बाँधा, उसी एहराम में उन दोनों में से हर एक की तरफ़ से तवाफ़ और सई करना काफ़ी होगा या मीक़ात की तरफ़ लौटना और उनमें से हर एक की तरफ़ से एहराम बाँधना ज़रूरी होगा?

इस पर शैख़ ने जवाब दिया कि पहली बात यह है कि मुतक़ारिब वक़्त में बार-बार उम्रा करने में तवक़्क़ुफ़ इख़्तियार करना चाहिए क्योंकि क़रीबी वक़्त में बार-बार उम्रा करने पर कुछ उलमा ने नकीर की है है। इसका मतलब शैख़ यह कहना चाहते हैं कि कुछ दिनों के फासले (अंतराल) के बाद दोबारा उम्रा कर सकते हैं। आगे शैख़ कहते हैं कि अगर मुसलमान उम्रा करे और अपने तवाफ़ और सई में वालिदैन और अक़ारिब (रिश्तेदार) के लिए दुआ करे और इसके अलावा मस्जिदे हराम में दुआ करे तो यही काफ़ी है। हम उम्मीद करते हैं कि इसका सवाब और फ़ायदा उन्हें मिलेगा, इन शा अल्लाह। लेकिन अगर तुमने दोबारा उम्रा कर लिया अपने वालिद की तरफ़ से फिर अपने चाचा की तरफ़ से, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, अगरचे यह खिलाफ़-ए-औला है। हाँ, अगर तुम उम्रा करती हो तो हर एक उम्रा के लिए अलग-अलग एहराम बाँधना ज़रूरी है, इस तरह कि तुम हिल की तरफ़

निकलो जैसे तन'ईम, अराफ़ात या जिराना और वहाँ से उम्रा का एहराम बाँधो और तुम मक्का से एहराम नहीं बाँधोगी और न ही तुम्हें मीक़ात की तरफ़ लौटना है। (इस्लाम वे डॉट नेट/मौज़ू: हुक्म अदा-ए-एक्सर मिन उमरा)

इस फ़तवे में आप देख सकते हैं कि शैख ने दूसरे उम्रा के लिए मीक़ात जाने से मना किया है, यानी दूसरे उम्रा करते वक़्त सिर्फ़ हुदूद हरम से बाहर निकलना है और किसी भी जगह जाकर हिल से उमरा का एहराम बाँध सकते हैं।

3. लजना दाइमा से सवाल किया गया कि तीन औरतों ने हज के बाद कुदी (मक्का का एक होटल) से उमरा का एहराम बाँधा और उमरा किया, क्या उनका उमरा जायज़ है? तो लजना ने जवाब दिया कि कुदी हुदूद हरम में है, इसलिए उन्हें तन'ईम या जिराना जाना था जैसे आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने तन'ईम से और नबी ﷺ ने जिराना से एहराम बाँधा था। बहरहाल, उनका उम्रा सही है लेकिन उन सभी पर दम लाज़िम है क्योंकि उन्होंने हरम से एहराम बाँधा है। (यह फ़तवे का ख़ुलासा और मफ़हूम है / लजना दाइमा / फ़तवा नंबर: 5830)

4. शैख़ मोहम्मद सालेह अल-मुन्जिद कहते हैं: "जम्हूर उलमा ने अपने सफ़र में एक उम्रा करने वाले के लिए दूसरा उम्रा करने की इजाज़त दी है, ख़ासकर

अगर उम्रा के लिए आने वाला शख़्स आफ़ाक़ी (विदेशी) हो, दूर से सफ़र करके आया हो, और उसके लिए दोबारा मक्का पहुंचना मुश्किल हो, तो ऐसी सूरत में उस शख़्स के लिए क़रीब की हिल की तरफ़ जाने की ज़रूरत होगी, और फिर वह वहीं से दूसरे उम्रा का एहराम बाँधेगा।" (मौक़ा इस्लाम सवाल व जवाब, सवाल नंबर: 180123)

मस्जिद आइशा से बार-बार उम्रा करना:

यहाँ पर यह बात भी कहना मुनासिब समझता हूँ कि कुछ उलमा एक सफ़र में सिर्फ़ एक ही उमरा के क़ाइल हैं क्योंकि नबी (ﷺ) और आपके असहाब से यही मंक़ूल है, जैसे शैख़ अलबानी रहिमहुल्लाह और शैख़ इब्न उसैमीन रहिमहुल्लाह वग़ैरह। हालांकि, कुछ उलमा इस बात के भी क़ाइल हैं कि मक्का में लंबे वक़्त तक ठहरने पर कुछ दिनों के वक़्फ़े (अंतराल) के बाद दूसरा उम्रा किया जा सकता है और इसी तरह कोई एक सफ़र में किसी क़रीबी मरहूम की तरफ़ से उम्रा करना चाहे तो उम्रा कर सकता है, ख़ासकर उस वक्त जब दोबारा मक्का आने की उम्मीद न हो। नबी (ﷺ) का फ़रमान है:

الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا (صحيح البخاري:1773)

तर्जुमा: एक उम्रा के बाद दूसरा उम्रा दोनों के दरमियाँन के गुनाहों का कफ़्फ़ारा है। इस हदीस से बार-बार उम्रा करने की दलील मिलती है, इसी

तरह जब आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हजे-क़िरान अदा किया तो आप ने उन्हें यह बशारत दी कि इस से हज और उम्रा दोनों हो गया, आप ने फ़रमाया:

"قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ جَمِيعًا" (صحيح مسلم: 1213)

तर्जुमा: तुम अपने हज और उम्रा दोनों से हलाल हो गई हो। इसके बावजूद आपने उन्हें फिर से दोबारा अलग और मुस्तक़िल उम्रा करने की इजाज़त दी और उनके भाई अब्दुर्रहमान को हुक्म दिया:

فَاذْهَبْ بِهَا يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ۔ (مصدر سابق)

तर्जुमा: ऐ अब्दुर्रहमान! इसे ले जाओ और इसे तन'ईम (मक्का से तीन या चार मील दूर एक स्थान का नाम) से उम्रा करवाओ।

ताहम यहां इस बात को याद रखना चाहिए कि एक दिन में कई उम्रा करना या रोज़ाना उम्रा करना या बार-बार उम्रा करना बिलकुल ग़लत है और अफ़ज़ल व औला यही है कि एक सफ़र में एक ही उम्रा पर इक्तिफ़ा किया जाएगा।

****

नोट: इसे ख़ुद भी पढ़ें और दूसरों को भी शेयर करें। मजीद दीनी मसाइल, जदीद मौजूदा और फ़िक्री सवालात की जानकारी के लिए विज़िट करें-

WEBSITE KELIYE CLICK KARE

MAZEED PDFS KE LIYE CLICK KARE

DATE :4/7/2024